भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2206

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्त तक पहुँच में सुधार

2206. श्री एस जगतरक्षकन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्त तक पहुंच में सुधार करना उन्हें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा; और

(ख) यदि हां, तो वित्त की उपलब्धता के संदर्भ में एमएसएमई के समक्ष पेश आ रहे अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के महत्व को प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में भली-भांति स्वीकार किया गया है, इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हुए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में लगभग 29% और 11 करोड़ भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में योगदान रहा है।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. निवेश के आकार और कुल कारोबार, दोनों, के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण का नया संशोधित मानदंड।

ii. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु 'उद्यम पंजीकरण'

iii. दिनांक 2.7.2021 से एमएसएमई के रूप में खुदरा और थोक व्यापारियों को शामिल करना।

iv. गैर-वित्तपोषित सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक इकाइयों को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा के साथ-साथ संपार्श्विक मुक्त संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ अप्रैल, 2015 में किया गया था। पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए के पूर्व के स्तर से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है और एक नई श्रेणी तरुण प्लस जोड़ी गई है जिसमें उन उद्यमियों, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और सफलतापूर्वक उसका पुनर्भुगतान किया हो, के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध होंगे।

v. बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए तक की उधार सीमा के लिए एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का परिकलन उस इकाई के अनुमानित वार्षिक कुल कारोबार के न्यूनतम 20% की सरल पद्धति के आधार पर किया जाना है।

vi. बैंकों को सलाह दी गई है कि एमएसई उधारकर्ताओं को 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ऋण संबंधी निर्णय लेने की समयसीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vii. कोविड-19 महामारी को देखते हुए पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालनात्मक देयताओं को पूरा करने और उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) आरंभ की गई थी।

viii. एमएसएमई की देरी से किए जा रहे भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) को परिचालनरत किया गया है। इसके अतिरिक्त, टीआरईडीएस में कंपनियों को शामिल करने के लिए कुल कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम/ओ एमएसएमई) ने दिनांक 7.11.2024 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की है।

ix. मौद्रिक नीति के बेहतर प्रसार और मूल्य-निर्धारण में पारदर्शिता के लिए आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे एमएसई हेतु दिनांक 1.10.2019 से और मध्यम उद्यमों हेतु दिनांक 1.04.2020 से सभी नए फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को बाह्य बेंचमार्क से लिंक करें।

x. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के मापदंडों के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

xi. आरबीआई ने एए फ्रेमवर्क की सुविधा आरंभ की है जिसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना को ऐसी सूचना के धारकों (वित्तीय सूचना प्रदाता) (एफआईपी) से एकत्रित किया जाता है और एक सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहकों या विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं (वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता) को डिजिटली प्रदान किया जाता है। एमएसएमई को आसानी से उधार देने के लिए एए तंत्र में एफआईपी के रूप में जीएसटीएन को शामिल किया गया है।

एमएसएमई की सहायता के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई निम्नलिखित घोषणाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है:-

1. मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी के एमएसएमई को सावधि ऋण प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना आरंभ की जाएगी।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई का मूल्यांकन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता निर्मित करनी होगी और एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स की स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण निर्धारण मॉडल तैयार करने या करवाने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी
3. एमएसएमई की दबाव की अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा संवर्धित निधि से गारंटी के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

*****